मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल

चतुर्थ तल, खण्ड-3, पर्यावास भवन, मदर टेरेसा मार्ग, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462 011 (म.प्र.)

☎ (का.) 0755-2551805, फैक्स : 0755-2556065

ई-मेल : mphousing@email.com

परिपत्र क्रमांक–14/2018 दिनांक — 10/09/2018

विषय :– **बाहय् सेवा संधारण शुल्क (Corpus Fund) भारित करने के संबंध में ।**

मण्डल के परिपत्र क्रमांक–23/2015 दिनांक 16.04.2015 द्वारा मण्डल की संपत्तियों को पंजीयन के माध्यम से व्ययन के लिए जारी की जाने वाली नियमावली/निर्देशों के साथ संलग्नक मानक नियम एवं शर्तो के अंतर्गत अंतिम मूल्य निर्धारण में सम्मिलित किये जाने वाले अतिरिक्त तथ्यों की कण्ड़िका–6 में बाह्य सेवा संधारण सेवा प्रभार (**Corpus Fund**) की दरे निम्नानुसार प्रावधानित है :–

6	बाहय् सेवा संधारण प्रभार	मण्डल एक निर्माण एजेन्सी है योजना/कालोनी की सार्वजनिक/कॉमन व्यवस्थाओं का संचालन योजना पूर्ण होने के उपरांत अधिकतम एक वर्ष पश्चात् रहवासी कल्याण समिति/नगर निगम को करना होगा । रहवासी कल्याण समिति को बाह्य सेवाएं प्रचालन एवं संधारण हेतु राशि एक (Corpus Fund) के रूप में उपलब्ध करना वांछित होता है अतः प्रत्येक सम्पत्ति के मूल्य का 2%, तथा बाउण्ड्री वाल के अंतर्गत निर्मित परिसर में 5% तथा व्यवसायिक सम्पत्ति हेतु 10% बाह्य सेवा संधारण प्रभार तथा अंतिम मूल्य में अतिरिक्त रूप सम्मिलित किया जाता है।

2. व्यवहारिक रूप से आवासीय एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों में बाह्य सेवा संधारण कार्यो की प्रकिृति एक समान ही होती हैं किन्तु व्यवसायिक संपत्ति की दर आवासीय से अधिक है, अतः दोनों प्रकार की संपत्तियों (आवासीय/व्यवसायिक) हेतु बाह्य सेवा संधारण शुल्क (**Corpus Fund**) समान रूप से 5% (पॉच प्रतिशत) भारित किया जाता है।

यह परिपत्र उन संपत्तियों पर लागू नही होगा जिनका विक्रय–विलेख निष्पादित हो चुका है।

आयुक्त

म.प्र. गृह निर्माण एव अधोसंरचना
विकास मण्डल, भोपाल